

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 258वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2023 का कार्यवृत्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 258वीं बैठक मा० अध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

1. श्री नितिन रमेश गोकर्ण,	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,	अध्यक्ष
2. श्री रणवीर प्रसाद,	आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3. डा० नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सचिव
4. श्री धर्मेन्द्र वर्मा,	वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5. श्री डी०वी० सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6. श्री कल्याण बनर्जी,	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
7. श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा०, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
8. श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
9. श्री अनिल कुमार,	नगर नियोजक, प्रतिनिधि, सी०टी०सी०पी०	सदस्य
10. श्री अजय कुमार सिंह,	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा० अध्यक्ष महोदय एवं मा० सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये:-

विषय सूची

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
258/1	परिषद की 257वीं बैठक दिनांक 02 नवम्बर, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 257वीं बैठक दिनांक- 02 नवम्बर 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
258/2	परिषद की 257वीं बैठक दिनांक 02 नवम्बर, 2022 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 257वीं बैठक दिनांक- 02 नवम्बर 2022 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
258/3	परिषद कार्मिको/परिषद के पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरो को दिनांक 01-07-2022 से 38% दर से मंहगाई भत्ता/राहत अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
258/4	भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या के अन्तर्गत ग्राम-मांझा बरेहटा से सम्बन्धित नियोजन समिति की संस्तुतियाँ परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 (1) के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
258/5	परिषद योजनाओं में अनिस्तारित फ्लैट्स के निस्तारण हेतु पहले आओ-पहले पाओ माध्यम से आवंटन हेतु	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के संबंध में पहले आओ-पहले पाओ माध्यम से आवंटन हेतु ऑनलाइन पोर्टल का

	ऑनलाइन पोर्टल के अपग्रेडेड वर्जन की शुरूआत सम्बन्ध में।		अवलोकन किया गया तथा उक्त पोर्टल में सतत् सुधार के निर्देश दिये गये।
258/6	परिषद की लोहियापुरम् योजना फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड सं०-4/सी-60 के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
258/7	मा० निदेशक मण्डल की 257वीं बैठक के मद सं०-257/15 विषय पर प्रस्तुत प्रस्ताव/नीति पर लिये गये निर्णय के बिन्दु सं०-2(a) एवं 2(b) एवं बिन्दु सं०-3 पर जारी कार्यालय आदेश सं०-757 दिनांक 25-07-2022 द्वारा दी गयी व्याख्या के सन्दर्भ में 2 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज के संबंध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
258/8	मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं हेतु प्रस्तावित आवंटन नीति।	सम्पत्ति	<p><u>मठ चैरिटेबल ट्रस्ट व अन्य धार्मिक संस्था तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्यों के अतिथिगृह हेतु भूमि आवंटन की नीति निम्नवत् है:-</u></p> <p><u>भूमि दर-</u></p> <p>भूमि की आरक्षित दर, आवासीय दर की 1.5 गुना तथा उस पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क एवं भूखण्ड कार्नर होने की दशा में 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क जोड़कर निर्धारित की जायेगी। भूखण्ड में पार्क फेसिंग होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत पार्क फेसिंग शुल्क भी देय होगा। भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 05 वर्ष के अंदर निर्माण पूर्ण करना होगा, अन्यथा टोकन धनराशि जब्त करते हुए भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।</p> <p>[उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय सम्पत्ति निस्तारण सम्बन्धी विनियम 1980 (संशोधित फरवरी-1993, पुनः संशोधित मार्च-2016 के</p>

नियम 11 (1) व (5)]

पात्रता-

1. राष्ट्रीय एवं राज्य अतिथिगृह हेतु भूमि प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार का शासकीय/अर्धशासकीय विभाग होना आवश्यक है।
2. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट व अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा आवेदन किये जाने पर संस्थायें इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अथवा इण्डियन कम्पनीज एक्ट 2013 में नॉट फार प्रोफिट कम्पनी के रूप में पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम 03 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड होनी आवश्यक है।
3. ऐसी संस्थायें जो इनकम टैक्स विभाग में चैरिटेबल अथवा धार्मिक संस्थाओं के रूप में रजिस्टर्ड है एवं जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा-80जी का लाभ प्राप्त है।

पंजीकरण एवं पंजीकरण शुल्क-

इस नीति के तहत पंजीकरण के माध्यम से "जैसा है, जहाँ है, के आधार पर" आवंटन किया जायेगा। पंजीकरण शुल्क भूखण्ड के निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत होगा।

आवंटन समिति-

आवंटन प्रक्रिया अपर आवास आयुक्त से अन्यून श्रेणी के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। यह समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग से लेकर आवंटन हेतु चयन के लिये उत्तरदायी होगी। समिति की संस्तुति पर आवास आयुक्त द्वारा गुणदोष के आधार पर आवंटन का निर्णय लिया जायेगा। समिति का गठन आवास आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

प्राथमिकता-


आवंटन में इन संस्थाओं को प्राथमिकता :-

Handwritten signature

			<p>आवंटन हेतु प्राथमिकता निर्धारण के लिए गुणवत्ता मानकों (Quality Matrix) का निर्धारण आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा किया जायेगा।</p> <p>शेष धनराशि का भुगतान-</p> <p>अवशेष धनराशि का निर्धारण एवं भुगतान परिषद नियमों के अनुसार करना होगा। आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिवस में एकमुश्त भुगतान किये जाने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।</p> <p>लाटरी के माध्यम से चयन-</p> <p>स्क्रीनिंग के पश्चात भूखण्ड की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाटरी के माध्यम से आवंटी का चयन किया जायेगा। प्राथमिकता वाले इच्छुक संस्थाओं को भूखण्ड चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। किसी भी श्रेणी में एक से अधिक इच्छुक संस्था की स्थिति में निर्धारण लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।</p> <p>अन्य शर्तें-</p> <p>किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये भूखण्डों के मूल्य, क्षेत्रफल अथवा शर्तों में परिवर्तन करना पड़ता है तो तदनुसार आवेदक संस्था को मानना होगा। इस विषय पर किसी भी संस्था का किसी प्रकार का दावा व अधिकार मान्य नहीं होगा।</p>
258/9	परिषद की राजाजीपुरम योजना स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या- 12/4001/8ए, 12/4001/9ए, 12/4001/10ए एवं 12/4001/11ए के आवंटन पुर्नजीवन एवं दण्ड ब्याज माफी के संबंध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
258/10	परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर- 7 एवं 8 में सम्पत्तियों के पुनर्नियोजन एवं उनके विक्रय के सम्बन्ध में	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर- 7 एवं 8 में सम्पत्तियों के पुनर्नियोजन एवं उनके

Handwritten signature/initials

	परिषद द्वारा नियुक्त कन्सल्टेंट द्वारा दिये गये प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।		विक्रय के सम्बन्ध में परिषद द्वारा नियुक्त कन्सल्टेन्ट द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर समग्र विचार हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण कराने के निर्देश दिये गये एवं तत्पश्चात आवश्यकतानुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण का निर्णय लिया गया।
258/11	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित बल्कसेल भूखण्ड संख्या-4बी0एस0-1 एवं 4बी0एस0-5 पर फ्लैटों के निर्माण हेतु निःशुल्क समयवृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
258/12	मा0 परिषद की पूर्व 237वी बैठक दिनांक के मद संख्या- 237/49 पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-9 में समाविष्ट ग्राम मौजा सिकन्दरा वाहिस्ताबाद परगना व तहसील व जिला-आगरा के खसरा सं0- 1148, 1149, 1150 व 1153 क्षेत्रफल 18,670.00 वर्गमीटर में से 3,000 वर्गमी0 भूमि आवंटन के निर्णय को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
258/13	वित्तीय वर्ष 2021.22 की बैलेन्सशीट/लेखों के अनुमोदन के संबंध में।		सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त बैलेन्सशीट अनुमोदित की गयीए साथ ही ऑडिट समिति गठित करते हुए बैलेन्सशीट का विस्तृत परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुमोदित,

 (नितिन रमेश गोकर्ण)
 अध्यक्ष